बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:–

संख्या–06/विविध(ई0रिक्शा)–07/2015 परि0– विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–6 दिनांक–20 मार्च, 2015 के द्वारा मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 3 वर्ष 2015) को प्रतिपादित किया गया है एवं इसके माध्यम से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के पश्चात धारा 2ए को अंतःस्थापित करते हुए ई रिक्शा और ई गाड़ी को परिवहन यान के एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। ई–रिक्शा अथवा ई–कार्ट से तीन पहिये वाला 4000 वाट मोटर शक्ति से अनधिक विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों अथवा सामग्रियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है। उक्त संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा मूल अधिनियम, 1988 की धारा 7,9 एवं 27 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 7 में परन्तुक (proviso) प्रविष्टि कर ई रिक्शा या ई कार्ट परिवहन यान के चलाने की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की शर्त्तों में संशोधन किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– सा0का0नि0–709(अ) दिनांक–08.10.2014 के साथ पठित का0आ0–2590(अ) दिनांक–08.10.2014 एवं सा0का0नि0–27(अ) दिनांक–13.01.2015 के माध्यम से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अध्याधीन ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट हेतु विशिष्टयों/परीक्षण यंत्रो/निबंधन/स्वामित्व अंतरण/चालन अनुज्ञप्ति/प्रशिक्षण/फिटनेस एवं परमिट आदि के निमित्त प्रावधान किये गये हैं। मंत्रालय के पत्रांक आर.टी.–11036/80/2012–MVL दिनांक– 09.06.2015 के द्वारा ई. रिक्शा एवं ई कार्ट के परिचालन हेतु मार्गदर्शन संसूचित है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सवारियों अथवा सामग्रियों को वाहन पड़ाव स्थल एवं रेल स्टेशनों आदि जगहों से उनके गंतव्य/अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करने के उद्देश्य के तहत बिहार राज्य अंतर्गत ई–रिक्शा/ई–कार्ट के निबंधन/चालन अनुज्ञप्ति, परिचालन तथा परमिट आदि कार्य के निमित निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है –

1. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 अधीन ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट को अंतःस्थापित किया जाता है एवं यथास्थिति अनुसार गाड़ी/वाहन शब्द के अन्तर्गत ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट को प्रविष्ट किया जाता है।
2. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के अध्याधीन वाहनों के परीक्षण/किस्म अनुमोदन/निबंधन/करारोपण आदि कार्यों हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट निमित भी विनिर्दिष्ट होंगे।
3. ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के किस्म अनुमोदन के लिए विनिर्माता अथवा ई–रिक्शा/ई–कार्ट रजिस्टर्ड संघ मानक परीक्षण अभिकरण/संस्थान द्वारा उक्त यान हेतु प्रदत्त परीक्षण प्रमाण–पत्र के साथ राज्य परिवहन आयुक्त के यहां आवेदन करेंगे जो सम्यक विचारणोपरांत यान किस्म के निबंधन हेतु स्वीकृति देंगे।
4. ई–रिक्शा/ई–कार्ट से संबंधित विनिर्माता/डीलर, मोटरयान नियमावली, 1989 अन्तर्गत ट्रेड सर्टिफिकेट (प्रपत्र 17) प्राप्त कर बिक्रय करोबार/संव्यवहार करेंगे। ट्रेड टैक्स निमित "अन्य वाहन" हेतु संदाय दर प्रभावी होगा।
5. ई–रिक्शा/ई–कार्ट के निर्माता/डीलर वैसे व्यक्तियों को ही ई–रिक्शा अथवा ई–कार्ट का बिक्रय करेंगे जिनके पास उक्त यान को चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त है।
6. ई रिक्शा/ई–कार्ट हेतु चालन अनुज्ञप्ति/निंबधन/ फिटनेस एवं परमिट आदि निमित्त वांछित कागजात प्रमाण पत्र एवं कर तथा शुल्क आदि हेतु चेकलिस्ट परिवहन विभाग, बिहार के द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमावली तथा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अध्याधीन विहित किया जायेगा। (परिशिष्ट 'क' संलग्न)
7. ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन हेतु मार्गो/रूटों अथवा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर निम्नलिखित की एक कमिटी होगी जो मार्गो/रूटों अथवा क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को संसूचित करेगी–

(1) जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2) पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(3) सचिव, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	–	सदस्य
(4) अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
(5) यातायात पुलिस पदाधिकारी	–	सदस्य
(6) जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य–सचिव
(7) मोटरयान निरीक्षक	–	सदस्य
(8) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल	–	सदस्य
(9) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय	–	सदस्य

उक्त कमिटी की बैठक यथा आवश्यकतानुसार अथवा माह में कम से कम एक बार होगी। जिला स्तरीय कमिटी के द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गो/रूटों या क्षेत्रोके परिप्रेक्ष्य में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन निमित्त परमिट निर्गत किया जायेगा।

8. परमिट हेतु आवेदक को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार आवेदन एवं अनुलग्नक कागजात/प्रमाण–पत्र/शुल्क आदि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय के अलावा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में भी समर्पित करने का विकल्प होगा। शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा। जिला परिवहन कार्यालय में जो आवेदन समर्पित होगें उन्हें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय को भेजा जायेगा।
9. ई–रिक्शा/ई–कार्ट वाहन व्यवस्था को प्रथमतः पटना शहरी क्षेत्र एवं तत्पश्चात् अन्य क्षेत्र में लागू किया जायेगा।
10. ई–रिक्शा/ई–कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जायेगा।
11. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना समय–समय पर समीक्षा कर आवश्यक अनुदेश निर्गत करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना)

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1425 /पटना, दिनांक–16/03/2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को(विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 04 एवं 06, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

15/3

सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट – 'क'

1. प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चलाने हेतु आवेदक द्वारा विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग आथोरिटी के पास दिया जाएगा–

1. प्रपत्र–2 (आवेदन पत्र) – फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ
2. प्रपत्र–1 एवं 1ए (मेडिकल सर्टिफिकेट)–फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ
3. जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र (उम्र 20 वर्ष या अधिक)
4. आवासीय प्रमाण पत्र
5. ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र
6. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र
7. विहित शुल्क

नोट :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट हेतु प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति, प्रतीक ER/EC अंकित किया जायेगा।

2. चालक अनुज्ञप्ति :– प्रशिक्षण चालक अनुज्ञप्ति के निर्गत होने के 30 दिन बाद या वैधता तिथि समाप्ति से पूर्व आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न दस्तावेज/प्रपत्र के साथ लाइसेसिंग आथोरिटी के पास दिया जाएगा

1. प्रपत्र–4 (आवेदन पत्र) – फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ
2. प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति (मूल में)
3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (प्रपत्र–5) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 27(E) दिनांक–13.05.2015 के आलोक में ई रिक्शा या ई कार्ट निर्माता अथवा रजिस्ट्रीकृत संघ द्वारा प्रदत्त कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र)
4. विहित शुल्क
5. चालन योग्यता परीक्षण उत्तीर्णता

नोट :– स्मार्ट कार्ड में ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट हेतु स्थायी अनुज्ञप्ति, प्रतीक चिन्ह ER/EC अंकित किया जायेगा।

3. <u>चालक अनुज्ञप्ति का नवीकरण</u>:– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/ प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा–

1. प्रपत्र–9
2. प्रपत्र–1 एवं 1ए (मेडिकल सर्टिफिकेट)
3. मूल चालक अनुज्ञप्ति
4. विहित शुल्क

4. <u>चालक अनुज्ञप्ति का द्वितीयक प्रति</u> :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति के निर्गमन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/ प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा–

1. प्रपत्र–एल0एल0डी0 (आवेदन पत्र)
2. सनहा /प्राथमिकी /शपथ पत्र की मूल प्रति
3. विहित शुल्क

5. **<u>चालक अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन (इन्डोर्समेंट)</u>** :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति के पृष्टांकन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा–

1. प्रपत्र–8
2. प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति (मूल में)
3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव), ई रिक्शा या ई कार्ट निर्माता अथवा रजिस्ट्रीकृत संघ द्वारा प्रदत्त, (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 27(E) दिनांक–13.05.2015 के आलोक में)
4. विहित शुल्क

6. <u>अस्थायी निबंधन</u> :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के अस्थायी निबंधन हेतु आवेदक द्वारा विहित आवेदन पत्र निम्न दस्तावेज प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा, जिसमें अलग से निबंधन सिरिज BR-01ER/ BR-01EC क्रमशः ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के लिये लागू किया जायेगा।

1. प्रपत्र–सी.आर.टेम्प ए (आवेदन पत्र)
2. वाहन विक्रय प्रमाण पत्र
3. विहित कर (हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर)
4. विहित शुल्क (हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर)

7. <u>निबंधन</u> :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के निबंधन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा निबंधन प्राधिकार के पास दिया जाएगा जिसमें अलग से निबंधन सिरिज BR-01ER/BR-01EC क्रमशः ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के लिए लागू किया जायेगा।

1. प्रपत्र–20 (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ
2. प्रपत्र–21 (वाहन विक्रय प्रमाण पत्र) (ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के निर्माता/डीलर/रजिस्ट्रीयुक्त संघ द्वारा प्रदत्त)

3. इन्वायस/मनी रसीद
4. प्रपत्र–22 (सड़क पात्रता प्रमाण पत्र)
5. मूल बीमा प्रमाण पत्र/ कभर नोट की प्रति
6. आवासीय प्रमाण पत्र
7. फिटनेस प्रमाण पत्र
8. अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र(यदि हो)
9. बिहार वाणिज्य कर विभागीय प्रवेश कर प्रमाण पत्र (अन्य राज्यों से क्रय की गई वाहन हेतु)(यदि हो)
10. ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट का चालक अनुज्ञप्ति
11. विहित शुल्क (हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर)
12. विहित कर (एकमुश्त कर जो लागू हैं)–क्रय मूल्य का 3.5%

8. निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति :– ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति निर्गमन हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ निबंधन आथोरिटी के पास दिया जाएगा।

1. प्रपत्र–26 (आवेदन पत्र)
2. सनहा/प्राथमिकी की प्रति
3. विहित शुल्क
4. मूल टैक्स टोकन की प्रति (यदि हो)

9. ट्रेड सर्टिफिकेट निर्गमन/नवीकरण :– ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट निर्गमन/नवीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जाएगा।

1. प्रपत्र–16 (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ
2. निर्माता/संघ द्वारा निर्गत डीलर नियुक्ति प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र
3. कारोबार स्थल के जमीन का कागजात (लीज डीड/सेल डीड आदि कोई हो)
4. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो – 2
5. पैन कार्ड की छायाप्रति
6. टिन नम्बर (सेल्स टैक्स विभाग) की छायाप्रति
7. आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र
8. विहित शुल्क
9. नवीकरण हेतु – मूल ट्रेड सर्टिफिकेट एवं शुल्क

10. फिटनेस (दुरूस्ती) प्रमाण पत्र :– ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट फिटनेस (दुरूस्ती) प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ निबंधन प्राधिकार के समक्ष दिया जाएगा ।

1. प्रपत्र CFA (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ
2. अद्यतन टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र
3. विहित शुल्क
4. अद्यतन बीमा प्रमाण पत्र
5. निबंधन प्रमाण पत्र / कार्ड
6. प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र

11. परमिट निर्गमन /नवीकरण:–ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट परमिट निर्गमन/नवीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग आथोरिटी (संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार) के पास दिया जाएगा ।

1. विहित प्रपत्र में आवेदन
2. निबंधन प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति
3. चालक अनुज्ञप्ति की प्रति
4. बीमा प्रमाण पत्र की प्रति
5. टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र
6. फिटनेस प्रमाण पत्र
7. विहित शुल्क